

## पांचवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

## भाग क

## साधारण

1. निर्वचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद के अंतर्गत <sup>1\*\*\*</sup>  
<sup>2</sup>[असम <sup>3</sup>[“मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्य] नहीं है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति—इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल <sup>5\*\*\*</sup> द्वारा प्रतिवेदन—ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल <sup>4\*\*\*</sup>, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

## भाग ख

## अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. जनजाति रालाहकार परिषद्—(1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति रालाहकार परिषद् रथापित की जाएगी जो वीस रो अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा गें अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

परंतु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष रथान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति रालाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल <sup>6</sup> द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल <sup>5\*\*\*</sup>—

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को ;

(ख) उराके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और

(ग) अन्य सभी आनुबंधिक विषयों को,

यथार्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

<sup>1</sup> संविधान (राज्यां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग का या भाग से में विनिर्दिष्ट राज्य अभियेत है परंतु” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> पूर्णतार दोत्र (फुर्नर्डन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) “आराम सज्जा” स्थान पर प्रतिरक्षित।

<sup>3</sup> संविधान (उनवारावां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (1-4-1985 से) “और मेयात्तम” के स्थान पर प्रतिरक्षित।

<sup>4</sup> मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) “मेघालय और त्रिपुरा” के स्थान पर प्रतिरक्षित।

<sup>5</sup> संविधान (राज्यां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यो उल्यप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>6</sup> संविधान (राज्यां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यो उल्यप्रमुख” शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में स्थान गया।

5. अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि—(1) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी, राज्यपाल<sup>1</sup> लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(2) राज्यपाल<sup>1</sup> किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है ।

विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम—

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदरयों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वधन कर सकेंगे ;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदरयों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदरयों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबाह करने का विनियमन कर सकेंगे ।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल<sup>2\*\*\*</sup> संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा ।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल<sup>2\*\*\*</sup> ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है ।

### भाग ग

#### अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र—(1) इस संविधान में, “अनुसूचित क्षेत्र” पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश<sup>3</sup> द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे ।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय आदेश<sup>4</sup> द्वारा—

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा ;

<sup>5</sup>[(क) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् बढ़ा सकेगा,]

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल रीगाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की रीगाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की रथापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

<sup>1</sup> संविधान (जनजाति संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या राज्यप्रमुख” शब्दों के रथन पर उपरोक्त सम्बन्ध में रखा गया ।

<sup>2</sup> रांचियान (जनजाति संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राज्यप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।

<sup>3</sup> अनुसूचित क्षेत्र (योग के राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 9), अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 26), अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सं.आ. 102) और अनुसूचित क्षेत्र (विहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सं.आ. 109) देखिए ।

<sup>4</sup> मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (राज्याधि) आदेश, 1950 (सं.आ. 30) और आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (राज्याधि) आदेश, 1955 (सं.आ. 50) देखिए ।

<sup>5</sup> संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (का. 101) की पारा 2 द्वारा अंदर रखा गया ।

५.(८) निवासी शब्द वा शब्दों के संबंध में इस पैश के बचीन किए गए आवेदन या आवेदनों को निवासित कर सकेगा और संविधान शब्द के संज्ञानात् भी प्रत्यपूर्ण प्राचीन प्राचीन भी भी अनुमति देने लिए युक्त प्रतिविधित कर्त्ते के लिए वह आवेदन कर सकेगा।

और ऐसे किसी आवेदन में ऐसे आनुवंशिक वैश प्रतिविधिक सम्बंध ही शब्दों जो शब्दावलि या आवेदन की अनुचित भवीत हो, किन्तु ऐसा उपर कहा गया है उसकी सिवाय इस पैश के उपाय (१) की बचीन किए गए आवेदन में किसी प्रत्यापूर्ण आवेदन क्षेत्र परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

### भाग घ

#### अनुसूची का संशोधन

६. अनुसूची का संशोधन—(१) संसद् समस-समय पर नियम द्वारा, इस अनुसूची के उपनामों में से किसी का, परिवर्तन, परिवर्तन आ नियसन के लिए, संशोधन कर सकेगी वैश यथा अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी विवेश का गठ बर्ज लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निवेश है।

(२) ऐसी कोई विधि, जो इस पैश के उपाय (१) में चलिविधित है, इस संविधान के अनुचेत ३६८ के प्रयोगनाम के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

  
 अधिकारी प्राप्तिकारी  
 राज्यपाल अधिकारी  
 जनजातीय कानून विभाग  
 में सलय